वैश्विक महामारी कोविड-19 12 सितम्बर को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत का अयोजन निरस्त

District : dipr
Department :
VIP Person : General
Press Release
State News
Attached Document :
P.1-24-7-2020.docx (http://103.203.138.54/news/208999/document/P.1-24-7-2020.docx)

DESCRIPTION

वैश्विक महामारी कोविड-19
12 सितम्बर को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत का अयोजन निरस्त

जयपुर, 24 जुलाई। वैश्विक महामारी कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर की ओर से 12 सितम्बर 2020 को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन निरस्त कर दिया है।

प्राधिकरण के उप सचिव (प्रशासन) श्री रजनीकान्त शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण 12 सितम्बर 2020 को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन नहीं किया जा सकता।

उन्होंने यह भी बताया कि 8 अगस्त 2020 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत अब ऑनलाईन 22 अगस्त को आयोजित होगी तथा चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 दिसम्बर 2020 को यथावत रहेगा।

SUPPORTING IMAGES